

Rajasthan Pre Engineering Test (RPET)– 2010

BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, RAJASTHAN, JODHPUR

Web Sites : <http://techedu.rajasthan.gov.in>

www.rpet.indiaresults.com

RPET-2010 के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये Option Form (विकल्प पत्र) के आधार पर आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नही करने के कारण रिक्त (Drop Out) रहने वाले स्थानों पर प्रवेश (Upward Movement) हेतु दिशा निर्देश

पात्रता : Upward Movement की इस प्रक्रिया में केवल निम्न अभ्यर्थी ही पात्र होंगे—

1. जिन अभ्यर्थियों को विकल्प पत्र के आधार पर मेरिट के अनुसार संस्थान में सीट आवंटित हो चुकी है तथा जिन्होंने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर दी है।
2. जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के अनुसार आवंटन नहीं मिल पाया (Choice Exhausted) है।

नोट – जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट नहीं किया है उन्हें इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रक्रिया :

1. उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों को एक सहमति पत्र (प्रारूप वेब साइट पर उपलब्ध) भरकर दिनांक **06.09.2010** तक नीचे वर्णित किसी भी नोडल सेन्टर पर जमा करवाना होगा। जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित हो चुकी है उन्हें सहमति पत्र के साथ संस्थान में जमा कराई गई शुल्क की रसीद की फोटोकॉपी आवश्यक रूप से लगानी होगी।
2. जिन अभ्यर्थियों ने सहमति पत्र भरा है उनका पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र एवं मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग पश्चात किसी भी उच्च विकल्प पर आवंटन हो सकता है। इस प्रकार पुनः आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को नई आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व आवंटन स्वतः रद्द हो जायेगा। Upward Movement प्रक्रिया में नई संस्थान/ब्रांच आवंटित न होने पर ही पूर्व आवंटन यथावत रहेगा।

यदि वर्तमान में किसी अभ्यर्थी को TFWS के अन्तर्गत सीट आवंटित हुई है तथा वह Upward Movement के लिए सहमति पत्र भरता है तो यह आवश्यक नहीं है कि नई आवंटित संस्थान/ब्रांच में उसे TFWS के अन्तर्गत सीट मिले। इस परिस्थिती में उसे TFWS के अन्तर्गत सीट नहीं मिलने पर शेष शुल्क नियमानुसार आवंटित संस्थान में जमा करवानी होगी। अतः TFWS के अन्तर्गत सीट पर आवंटित अभ्यर्थी सोच समझकर सहमति पत्र भरे।

3. सहमति पत्र में किसी प्रकार की शर्त (किसी विशेष संस्थान/ब्रांच में आवंटन) स्वीकार नहीं होगी।
4. अभ्यर्थियों को पूर्व में भरे गये विकल्प पत्र के आधार पर ही उच्च विकल्प पर मेरिट के अनुसार शिफ्टिंग कर, नई ब्रांच / संस्थान आवंटित कर वेबसाइट तथा समाचार पत्रों द्वारा सूचित किया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।
5. संस्थान परिवर्तन की अवस्था में, पूर्व प्रवेशित संस्थान, नई आवंटित संस्थान को सभी मूल दस्तावेज मय शुल्क स्थानान्तरित करेगी।
6. सहमति पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे। केवल निम्न नोडल केन्द्रों पर ही व्यक्तिगत रूप से दिनांक 06.09.2010 सांय 5.00 बजे तक जमा करवाये।

नोडल केन्द्र :

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय : अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, खेतान जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर।
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। बी.टी.टी.आई., पिलानी, विद्याभवन पॉलिटेक्निक उदयपुर।

नोट: सुरेन्द्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, श्री गंगानगर-101 (SBCW 7595/2010) एंवम् चाचन एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलवर-094 (SBCW 10629/2010) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में Upward Movement की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।

समन्वयक

सहमति पत्र

समन्वयक,
आर.पी.ई.टी.-2010
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

विषय:- पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र के अनुसार उच्च विकल्प पर मेरिट के अनुसार Upward Movement.

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प पत्र (Option Form) एवं मेरिट के अनुसार आवंटित संस्थान व ब्रांच में दिनांक को प्रवेश ले लिया है / मेरे विकल्प पत्र एवं मेरिट अनुसार कोई आवंटन नहीं हुआ (Choices Exhausted) है। संस्थानों में रिक्त रही सीट (Drop out seat) पर मैं पूर्व में भरे गए विकल्प पत्र के उच्च विकल्प पर मेरिट के अनुसार Shifting करवाने में इच्छुक हूँ एवं इस हेतु अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ। मैंने इस Shifting हेतु आप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भली-भांती अध्ययन कर लिया है एवं मुझे किसी प्रकार की कोई संशय तथा कोई आपत्ति नहीं है। उच्च विकल्प पर मेरिट अनुसार Shifting पश्चात मुझे यदि किसी अन्य संस्थान/ब्रांच में आवंटन किया जाता है तो मैं आवंटित संस्थान/ब्रांच में निर्धारित तिथि तक निश्चित रूप से रिपोर्ट कर दूंगा / दूंगी। उच्च विकल्प पर मेरिट अनुसार Shifting पश्चात मुझे उच्च विकल्प का आवंटन होता है तो मेरा वर्तमान आवंटन स्वतः रद्द समझा जावे।

मैं यह तथ्य से भलीभांति रूप से जानता हूँ कि यदि वर्तमान में मुझे TFWS के अन्तर्गत सीट आवंटित हुई है तथा Upward Movement के पश्चात यदि मुझे नया आवंटन TFWS के अन्तर्गत नहीं मिलता है तो मैं नई आवंटित संस्थान/ब्रांच में शेष शुल्क के साथ रिपोर्ट कर दूंगा/दूंगी। ऐसी स्थिति में मुझे TFWS का लाभ देय नहीं होगा।

मैं इस संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों को भलीभांति सोच समझकर यह सहमति पत्र भर रहा/रही हूँ। नई संस्थान/ब्रांच में रिपोर्ट करने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

मेरा विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाम पिता का नाम
माता का नाम जन्म तिथि
2. RPET-2010 रोल नम्बर
3. RPET-2010 मेरिट नम्बर
4. आवंटित संस्थान एवं ब्रांच जहां रिपोर्ट किया
5. शुल्क रसीद संख्या दिनांक

नोट : क्रमांक 4 व 5 Choices Exhausted की स्थिति में लागू नहीं है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतया सत्य है।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो अभ्यर्थी की है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये गये हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी मय मोहर

स्थान

नाम

नोट : अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाने आवश्यक है।

Photograph
of candidate
Attested by
Gazatted
Officer